

Form No111

फर्म अहकाम




(नियम 15)

अज अदालत:- उपखण्ड अधिकारी

मुकाम:- महवा जिला दौसा

रामसिंह बनाम रूपसिंह सिंह वगै०

किस्म मुकदमा:- दावा अंतर्गत धारा 53, 188 राज० काश्तकारी अधिनियम नम्बर..... 30 सन् 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.03.2025	वादपत्र बाद जांच दफ्तर से पेश हुआ। वादपत्र दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादीगण को जरिये रजि० ए०डी० तलब किया जावे। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 16.04.2025 को पेश हो।  उपखण्ड अधिकारी, महवा जिला दौसा उप खण्ड अधिकारी महवा (दौसा)	
16.04.25	अज पत्रावली पेश हुई। वकील वार्दी उपस्थित पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 04.06.2025 को पेश हो।  उप खण्ड अधिकारी महवा (दौसा)	
04.06.25	वकील वार्दी द्वारा प्रार्थना विज्ञा बाकत पेश करने पर पेश हुई वार्दी द्वारा व प्रतिवादी के मध्य आपसी सहमति से राप्ती नाम हो जाय है इसकी तलब को चलाय नहीं जास्ते है।  उप खण्ड अधिकारी महवा (दौसा)	रामसिंह जुम रूपसिंह शंकरसिंह 21/6/25

महाराष्ट्र न्यायालय उपर  
लय उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी महाराष्ट्र

हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्य जज

अतः वादी द्वारा विद्वा किन्ने जाते  
बाबत धांपत्र पेश कले पर वादपत्र  
विद्वा किन्ने जाके रवारीज किन्ने  
जाते हे पत्रावली फौजदारी शुभारंभ  
बाद तक्राली दालील दफतर ही

आदेश  
जुमाय मया

Mark  
उप खण्ड अधिकारी  
महवा (दौसा)